यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रुद्रपुर (उधम सिंह नगर)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

**कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रुद्रपुर (उधम सिंह नगर)** के माह 04/2019 से माह 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री कलवन्त सिंह एवं सतेन्द्र सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 22.02.2021 से 04.03.2021 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे संपादित किया गया था।

## भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अनूप कुमार गुप्ता एवं रमेश केशरी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 05.09.2019 से 16.09.2019 तक श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग वानिकी एवं अन्य कार्य।

(ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत है :

**(₹ लाख में)**

| वर्ष | अर्जित राजस्व |
|---|---|
| 2017-18 | 3236.41 |
| 2018-19 | 9345.35 |
| 2019-20 | 6660.48 |

(ii) (ब) बजट का विवरण विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

| **वर्ष** | **प्रारम्भिक अवशेष** | | **स्थापना** | | **गैरस्थापना** | | **अधिक्य (+)** | **बचत (-)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **स्थापना** | **गैर स्थापना** | **आवंटन** | **व्यय** | **आवंटन** | **व्यय** | | **स्थापना** |
| 2017-18 | - | - | 1268.95 | 1268.95 | 346.39 | 338.34 | - | 8.05 |
| 2018-19 | - | - | 1224.45 | 1224.45 | 280.17 | 280.17 | - | - |
| 2019-20 | - | - | 1172.36 | 1164.72 | 609.64 | 597.95 | - | 11.69 |

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत विभागो को प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

| **वर्ष** | **योजना का नाम** | **प्रा. आ.** | **प्राप्त** | **व्यय** | **बचत (%)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | इन्टेसिफिकेशन ऑफ फारेस्ट मैनेजमेन्ट | - | 12.40 | 11.80 | 00.60 |
| | प्रोजेक्ट ऐलीफेंट | - | 0.99 | 0.97 | 0.02 |

**(iii) इकाई को बजट आवंटन मुख्यालय** गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'A' श्रेणी की है।

**(IV) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः**

**सचिव- प्रमुख वन संरक्षक- मुख्य वन संरक्षक- वन संरक्षक- उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी**

**(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रुद्रपुर (उधम सिंह नगर)** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रुद्रपुर (उधम सिंह नगर)** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

**(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

माह 09/2019 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

माह 03/2020 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

**योजना का चयन**: .....

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

## राजस्व की लेखा-परीक्षा
## (अति गम्भीर अनियमितताएं)

### भाग-II (अ)

**प्रस्तर-01 : एनपीवी व क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि ₹ 27.12 करोड़ जमा न कराया जाना।**

### गम्भीर अनियमितताएं
### भाग-II (ब)

**प्रस्तर-01: वन विकास निगम द्वारा रॉयल्टी जमा, जमा न कराया जाना ₹14.33 करोड़।**

**प्रस्तर-02 : लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व की कम प्राप्ति ` 3.14 करोड़ ।**

## व्यय की लेखा-परीक्षा
## (अति गम्भीर अनियमितताएं)
### भाग-II (अ)

" शून्य "

### गम्भीर अनियमितताएं
### भाग-II (ब)

**प्रस्तर-01 : वन जमा में धनराशि अवरुद्ध रहना ₹ 5.36 करोड़ ।**

**प्रस्तर-02 : सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए बिना कार्यों को पूर्ण कराया जाना ₹71.78 लाख।**

**प्रस्तर-03 : लम्बित भुगतान ` 12.74लाख ।**

**प्रस्तर-04 : अधिकारियों/कर्मचारियों की जमानत की धनराशि जमा न किया जाना ₹16.73 लाख।**

**प्रस्तर-05 : प्रभाग की उदासीनता के कारण कार्मिको को विलम्ब से अंशदान की कटौती होने के कारण ₹ 2.86 लाख के नियोक्ता अंशदान से वंचित रहना।**

**<u>भाग 2 "अ"</u>**

**प्रस्तर-01 : एनपीवी व क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि ₹ 27.12 करोड़ जमा न कराया जाना।**

As per section 1.21 of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (guidelines and clarifications), Ex-post Facto Approval and Penal Provisions:

(i) In cases where the proposal under FC Act is under consideration and forest land is diverted before grant of FC:

(a) The penalty for violation shall be equal to NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by the inspecting officer with maximum upto five (5) times the NPV plus 12 percent simple interest till the deposit is made.

(b) In case of public utility projects of the government the penalty shall be 20% of the penalty proposed in para (a) above.

(c) State Government will initiate disciplinary action against the official concerned for not being able to prevent use of forest land for non-forestry purpose without prior approval of Government of India.

(d) User Agency responsible for violation shall be prosecuted under local Act of the State for unauthorized use of forest land without the permission of State authority.

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 972/3-5-2 दिनांक 21.11.2017 के अनुसार वन भूमि पर प्रस्तावित विभिन्न विकास परियोजनाओं के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तांतरण के प्रकरणो में गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि के एवज में देय धनराशि का निम्नवत निर्धारण किया गया है:

| **वर्ष** | **क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति हे. (₹)** | **रोड साइड वृक्षारोपण प्रति किमी (₹)** | **प्रभावित होने वाले वृक्षों की दस गुणी संख्या में वृक्षारोपण तथा 10 वर्षों तक रखरखाव (₹)** |
|---|---|---|---|
| 2020 | 337184.00 | 505571 00. | 1331/वृक्ष |

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रुद्रपुर के भूमि हस्तांतरण सम्बन्धी अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड हल्द्वानी (नैनीताल) के पत्रांक: 469/121 हल्द्वानी दिनाँक 18.09.2019 में उल्लिखित विवरण अनुसार डा॰ सुशीला तिवाड़ी राजकीय चिकित्सालय एवं स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय, हल्द्वानी के निर्माण हेतु वन भूमि निम्न प्रकार हस्तांतरित की गयी थी:

(i) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या: 8-502/89-FC, दिनाँक 16.03.1990 द्वारा 04 हेक्टेयर।
(ii) उत्तरांचल शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग के पत्र संख्या: 1029/7-1/2002, दिनाँक 12.11.2002 द्वारा 4.19 हेक्टेयर।
(iii) वन एवं पर्यावरण अनुभाग उत्तरांचल शासन के पत्र संख्या: 225/771-2003/800(458)/2002 टीसी, दिनाँक 05.02.2003 द्वारा 1.702 हेक्टेयर।
(iv) वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तरांचल, नैनीताल के पत्र संख्या: 1365/34-2, दिनाँक 07.10.1993 द्वारा 06 हेक्टेयर।

इस प्रकार उपरोक्तानुसार कुल 15.892 हेक्टेयर वन भूमि का हस्तांतरण किया गया था तथा उपरोक्त समस्त आदेश वन भूमि हस्तांतरण के नियमानुसार औपचारिक प्रस्तावों के बगैर निर्गत किये गये एवं वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के अन्तर्गत आते हैं।

पत्रावली के अवलोकन पर पाय गया कि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण द्वारा पत्र संख्या 540/FP/UK/DISP/6879/2014 दिनाँक 24.08.2019 द्वारा उक्त भूमि को नियमित करने हेतु लिखा गया था। उक्त भूमि को राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी के नाम करवाए जाने के सम्बंध में मा॰ मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनाँक 14.01.2020 को आहूत बैठक में वन भूमि के नियमितीकरण हेतु वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने का निर्णय किया गया।

चूँकि प्रभाग Eco Class-III Tropical Dry Deciduous Forests के अन्तर्गत आता है अतः अध्याय-III के अन्तर्गत Net Present Value (NPV)₹ 887000/- प्रति हेक्टेयर है। अतः प्रश्नगत चारों प्रकरणों में हस्तांतरित वन भूमि का नियमितीकरण कर निम्नवत दंडात्मक एनपीवी राशि वसूलनीय होगी (ब्याज की गणना आदेश की तिथि से 31.03.2021 तक):

| **for Order dated 16.03.1990** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Eco Class** | **Rate of NPV (₹)** | **Area of land (hect.)** | **NPV** | **Period for interest calculation in years** | **Penalty for Ex-facto approval (₹)** | | |
| | | | | | 05 times of NPV | Interest @ 12% | Total |
| III | 887000 | 4 | 3548000 | 21 | 17740000 | 44704800 | 62444800 |
| for Order dated 05.02.2003 | | | | | | | |
| III | 887000 | 4.19 | 3716530 | 18 yrs 05 months | 18582650 | 41067656 | 59650306 |
| for Order dated 12.11.2002 | | | | | | | |
| III | 887000 | 1.702 | 1509674 | 18 yrs 01 month | 7548370 | 16379963 | 23928333 |
| for Order dated 07.10.1993 | | | | | | | |
| III | 887000 | 6 | 5322000 | 27.5 | 26610000 | 87813000 | 114423000 |
| **Grand Total** | | | | | | | **260446439** |

अतः उपरोक्तानुसार चारों प्रकरणों में ₹ 260446439/-दंडात्मकNPV तथा 15.892 हेक्टेयर का दुगुने अवनत भूमि 31.784 हेक्टेयर पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण₹ 337184प्रति हेक्टेयर की दर से ₹ 10717056/- क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि, इस प्रकार कुल ₹ 27,11,63,495/- की धनराशि वसूल की जानी थी जो कि नहीं की गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि नियमितीकरण की कार्यवाही विचारधीन है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रभाग द्वारा भूमि हस्तांतरण के उक्त प्रकरणों में नियमानुसार विनियमितिकरण कर धनराशि वसूल की जानी थी।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु शासनके संज्ञान में लाया जाता है।

**भाग 2 "ब"**

**प्रस्तर-01: वन विकास निगम द्वारा रॉयल्टी जमा, जमा न कराया जाना ₹14.33 करोड़।**

अपर प्रमुख वन संरक्षक, कार्ययोजना, हल्द्वानी के पत्र संख्या 341/9-1(14) दिनाँक 03.11.2012, जो कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा वनों मे कार्य करने हेतु कटान-चिरान की शर्तो से संबन्धित है, के बिन्दु संख्या-31 के अनुसार वन विकास निगम को आवंटित लाटों के सम्बंध मे रॉयल्टी का भुगतान निगम द्वारा वन विभाग को किया जाना है।

इसी पत्र के बिन्दु संख्या 31(2) के अनुसार शंकुधारी प्रजातियों के लौटों के अलावा अन्य प्रजातियों के लौट के लिये निगम के लिये किश्तों की तिथि निम्न प्रकार निर्धारित की गयी है:

(क) लौट के मूल्य का एक तिहाई: मार्च 1 की लौट के वर्ष में

(ख) लौट के मूल्य का दूसरा तिहाई: जून 1 की लौट के वर्ष में

(ग) लौट के मूल्य का बकाया: सितंबर 1 की लौट के वर्ष में

बिन्दु संख्या 33(2) के अनुसार वन विकास निगम यदि रॉयल्टी की किश्तें विलम्ब से जमा करता है तो उससे विलम्ब शुल्क लिये जाने का प्रावधान है।

कार्यालय के लॉट आवंटन से सम्बन्धी पंजिका एवं प्रस्तुत की गयी रॉयल्टी की सूचना के अवलोकन में पाया गया कि प्रभाग 2019-20 में 162 लाटों का आवंटन किया गया था। वर्ष 2019-20 में आवंटित लौटों के सापेक्ष वन विकास निगम द्वारा निम्नवत रॉयल्टी जमा करायी गयी थी:

| **वन विकास निगम** | **प्रकाष्ठ का आयतन घन ) (मी.** | **देय रॉयल्टी ₹)में(** | **प्राप्त रॉयल्टी ₹)में(** | **अवशेष रॉयल्टी ₹) में(** |
|---|---|---|---|---|
| पूर्वी कालाढूंगी | 31415.3120 | 248220652 | 212790036 | 35430516 |
| केन्द्रीय हल्द्वानी | 11232.947 | 201276631 | 137272504 | 64004127 |
| पश्चिमी हल्द्वानी | 11220.9180 | 136747569 | 92842819 | 43904750 |
| **योग** | **53869.177** | **586244852** | **442905359** | **143339393** |

इस प्रकार वन विकास निगम द्वारा उपरोकतानुसार ₹ 14,33,39,393/-रॉयल्टी वर्तमान तक जमा नहीं करायी गयी थी। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि वन विकास निगम द्वारा वर्ष 2018-19 में प्रभाग द्वारा आवंटित 223 लौटों के विरुद्ध 164 लौटों एवं 2019-20 में आवंटित 162 लौटों के विरुद्ध मात्र 69 लौटों का ही पातन करते हुये संबन्धित रॉयल्टी जमा करायी जा रही थी। प्रभाग द्वारा आवंटित समस्त लौटों से संबन्धित रॉयल्टी की वसूली न करते हुये अवशेष लौटों का पुनः आवंटन किया जा रहा था जबकि नियमानुसार आवंटित समस्त प्रकाष्ठ की रॉयल्टी सितम्बर 2021 तक वसूल की जानी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि रॉयल्टी की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**<u>भाग 2 "ब"</u>**

**प्रस्तर-02 : लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व की कम प्राप्ति ` 3.14 करोड़ ।**

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,तराई केन्द्रीय वन-प्रभाग के राजस्व प्राप्ति संबंधी अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि प्रभाग द्वारा वर्ष 2019-20 में आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व की ₹3.14 करोड़ कम प्राप्ति की थी। विवरण संलग्न:-

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मानक मद 01-वानिकी-101-लकड़ी व अन्य वन उत्पाद की बिक्री में लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 68 प्रतिशत एवं मानक मद 800-अन्य प्राप्तियाँ में लक्ष्य के सापेक्ष 70 प्रतिशत ही राजस्व की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार प्रभाग द्वारा उपरोकतानुसार लक्ष्य से 32 प्रतिशत कम राजस्व की प्राप्ति की थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने प्र प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि वन विकास निगम द्वारा वर्ष 2019-20 में 93 लौट न काटे जाने के कारण कुल रॉयल्टी प्राप्ति में कमी आयी। वर्ष 2019-20 में लक्ष्य अधिक आवंटित होने के कारण लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व प्राप्त नही हो पाया।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वर्ष 2019-20 में वन विकास निगम द्वारा आवंटित 162 लाटों के विरुद्ध मात्र 69 लाटों का ही पातन करते हुये 93 लाट प्रभाग को वापस कर दी गयी थी परन्तु, प्रभाग द्वारा वन विकास निगम से आवंटित लाटों के सापेक्ष रॉयल्टी की माँग न करते हुये 57 प्रतिशत लाटों की वापसी स्वीकार करने के कारण अपेक्षित राजस्व की प्राप्ति नहीं हो सकी थी।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग 2 "ब"

**प्रस्तर-01 : वन जमा में धनराशि अवरुद्ध रहना ₹ 5.36 करोड़ ।**

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक: 194/XXVII/आ॰प्र॰(14)/2009 दिनाँक 26.02.2009 द्वारा वन विभाग की ऐसी योजनायें जिनकी धनराशि डी॰सी॰एल॰ लेखे में जमा है एवं जिनमे 25 प्रतिशत कार्य हो गया है, के लिये संबन्धित जिलाधिकारी तथा जिन योजनाओं में 25 प्रतिशत तक कार्य नहीं हुआ है उनके लिये डी॰सी॰एल॰ में रखी गयी धनराशि के उपभोग के लिये वित्त विभाग से पुनर्वैध (revalidate) करने की पूर्ववत आवश्यकता है।

वन-प्रभाग के डी॰सी॰एल॰ से संबन्धित लेखाभिलेखों की जाँच में पाया गया कि प्रभाग के वन जमा (डी॰सी॰एल॰) में माह 03/2020 तक निम्न विवरण अनुसार धनराशि अवरुद्ध है तथा वर्तमान तक पुनर्वैध नहीं की गयी थी। विवरण निम्नवत है:

| **क्रम संख्या** | **वन जमा मद** | **(धनराशि ₹) में** |
|---|---|---|
| 1 | वन भूमि स्थानांतरण पर प्राप्त सीमांकन कार्य | 128096 |
| 2 | आवासीय अनावासीय भवनों का निर्माण/ | 824000 |
| 3 | नाप भूमि वृक्षों का पातन | 840 |
| 4 | परियोजना प्रबन्धक उरेड़ा से सोलर फ़ैन्सिंग की अवशेष प्राप्त राशि | 22380 |
| 5 | वन विकास निगम विकास कार्यों की लाटों के विक्रय से प्राप्त | 47192382 |
| 6 | वन विकास निगम से वर्ष के मृदा एवं वृक्षारोपण की 2018 अवशेष प्राप्त राशि | 2210333 |
| 7 | वन विकास निगम से वर्ष पौपलर वृक्षारोपण की 2016-17 अवशेष प्राप्त राशि | 866566 |
| 8 | वन विकास निगम से वर्ष पौपलर वृक्षारोपण के द्वितीय वर्ष 2016-17 अनुरक्षण कार्य की प्राप्त राशि | 341298 |
| 10 | वन विकास निगम से वर्ष पौपलर वक्षारोपण के तृतीय वर्ष 2015-16 अनुरक्षण कार्य की प्राप्त राशि | 1315000 |
| 11 | प्रोजेक्ट एलीफेंट | 5000 |
| 12 | ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण हेतु वृक्षों की गणना कार्य की राशि | 142285 |
| 13 | जिला योजना भवन निर्माण एवं बिजली पानी व्यवस्था- | 400000 |
| 14 | वन विकास निगम से प्राप्त चौकीदारगेट कीपर के / पारिश्रमिक की धनराशि | 28638 |
| 15 | उत्तर प्रदेश सरकार उत्तराखण्ड सरकार/ | 154154 |
| **योग** | | **53630972** |

फॉरेस्ट-डिपॉज़िट पंजिका के अवलोकन पर पाया गया कि गोला कार्पस फंड में प्राप्त की जा रही राशि का उपयोग तो किया जा रहा है परंतु, उक्तानुसार अन्य मदों में धनराशि विगत कई वर्षों से अवरुद्ध है। उक्त अवरुद्ध धनराशि में 88% राशि वन विकास निगम से विकास कार्यों की लौटों के विक्रय से प्राप्त है जो कि अवरुद्ध है।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि धनराशि पुनर्वैध कराने हेतु कार्यवाही करते हुये व्यय की कार्यवाही की जायेगी।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**<u>भाग - 2 ब</u>**

**प्रस्तर-02 : सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए बिना कार्यों को पूर्ण कराया जाना ₹71.78 लाख।**

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के बिन्दु 43 (1) के अनुसार कोई कार्य को तब तक प्रारम्भ न किया जाये जब तक कि सक्षम अधिकारी से प्राक्कलन के आधार पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न कर ली गयी हो ।

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांकः 245/xxvii(7)/2012, दिनांक 22.11.2012 के अनुसार वृक्षारोपण व अन्य वानिकी कार्यों के आगणनों की स्वीकृति प्रदान करने हेतु उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी को ₹5.00 लाख की सीमा तक अधिकार प्रदत्त किया गया है तथा इसके ऊपर ₹10.00 लाख की सीमा तक वन संरक्षक को अधिकार प्रदत्त है ।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रुद्रपुर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि प्रभाग के निर्माण कार्यों के ई-10 पंजिका के अनुसार **<u>"संलग्न विवरण"</u>** में उल्लिखित वृक्षारोपण एवं अन्य वानिकी कार्यों के इतर ₹7178076 (अर्थात् ₹71.78 लाख) के निर्माण कार्यों पर वन संरक्षक से स्वीकृति लेकर किए जाने चाहिए थे, जोकि नहीं ली गयी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि वित्तीय स्वीकृतियाँ उच्च स्तर को प्रेषित की गई है स्वीकृति प्राप्त होते ही लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा।

प्रभाग का उत्तर मान्य नहीं है। क्यूकि बिना वित्तीय स्वीकृति के कार्यों को नही कराया जाना चाहिए था।

प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**"संलग्न विवरण"**

**2019-20 के कार्यों का विवरण जिनमें सक्षम अधिकारी की वित्तीय स्वीकृति प्राप्ति नहीं हुई हैः-**

| क्रम सं0 | कार्य का विवरण | धनराशि (`) |
|---|---|---|
| 1. | भाकड़ा राजी के अंतर्गत पीपल पड़ाव संख्या -94 मे 51.08 हे॰ क्षेत्रफल मे यांत्रिक बीज बुआई वृक्षारोपण क्षेत्र मे तृतीय वर्ष का अनुररक्षण कार्य की वित्तीय स्वीकृति | 6,90,550 |
| 2. | भाकड़ा राजी के अंतर्गत लामाचौड़ा परिसर मे श्री तेजराम के आवास मे स्नानागार व रसोई घर का मरम्मत कार्य की वित्तीय स्वीकृति | 88900 |
| 3. | भाकड़ा राजी के अंतर्गत बी ब्लाक परिसर मे पेयजल व्यवस्था हेतु बोरिंग कार्य मयसामग्री की वित्तीय स्वीकृति | 225882 |
| 4. | बरहनी राजी के अंतर्गत बौर कमोना N-1 क्षेत्र मे भू कटाव रोकने हेतु बौर नदी के पश्चिमी तट पर जी॰ आई॰ वायर के आर॰ आर॰ पथ्थरों से स्पर निर्माण(जाब स॰ 01) की वित्तीय स्वीकृति | 250000 |
| 5. | बरहनी राजी के अंतर्गत बौर कमोना N-1 क्षेत्र मे भू कटाव रोकने हेतु बौर नदी के पश्चिमी तट पर जी॰ आई॰ वायर मे आर॰ आर॰ पथ्थरों से स्पर निर्माण(जाब स॰ 02) की वित्तीय स्वीकृति | 250000 |
| 6. | बरहनी राजी के अंतर्गत नयागांव वनरक्षक चौकी की मरम्मत कार्य की वित्तीय स्वीकृति | 50000 |
| 7. | गदगदिया रेंज के अंतर्गत निहाल वन परिसर मे वन्य जीवों से सुरक्षा हेतु लगे सोलर फेंसिंग की सुरक्षा हेतु सी॰ सी॰ कार्य की वित्तीय स्वीकृति | 93800 |
| 8. | गदगदिया रेंज के अंतर्गत खैर भाकड़ा प्लाट स॰ N-1 से सामने भकड़ा नदी के पूर्वी तट पर भूकटाव रोकने हेतु जी॰ आई॰ वायर जाल मे आर॰ आर॰ पथ्थरों से स्पर निर्माण(जाब स॰ 02) की वित्तीय स्वीकृति | 250000 |
| 9. | गदगदिया रेंज के अंतर्गत खैर भाकड़ा प्लाट स॰ N-1 से सामने भकड़ा नदी के पूर्वी तट पर भूकटाव रोकने हेतु जी॰ आई॰ वायर जाल मे आर॰ आर॰ पथ्थरों से स्पर निर्माण की वित्तीय स्वीकृति | 250000 |
| 10. | गदगदिया रेंज के अंतर्गत उत्तरी गदगदिया प्लाट स॰ 38 क्षे॰ 35.37 हे॰ वर्ष 2018-19 विविध रोपण क्षेत्र मे द्वितीय वर्ष अनुरक्षण कार्य की वित्तीय स्वीकृति | 544300 |
| 11. | गदगदिया रेंज के अंतर्गत सूरपुर वन संरक्षक चौकी का जीर्णोद्वार/ मरम्मत कार्य की वित्तीय स्वीकृति | 170000 |
| 12. | हल्द्वानी राजि के अंतर्गत टांडा ब्लाक प्लाट स॰ 90,96,97,98,162 मे कुल 3.17 कि॰मी॰ सोलर फेंसिंग कार्य की वित्तीय स्वीकृति | 1299460 |
| 13. | हल्द्वानी राजि के अंतर्गत टांडा ब्लाक प्लाट स॰ 96 व 97 मे वन्य जीव हाथी द्वारा सुरक्षा दीवार को क्षतिग्रस्त करने पर दीवार का मरम्मत कार्य की वित्तीय स्वीकृति | 120000 |

| | | |
|---|---|---|
| 14. | हल्द्वानी राजि के अंतर्गत बेलबाबा निवासी चौकी की मरम्मत कार्य की वित्तीय स्वीकृति | 60000 |
| 15. | हल्द्वानी राजि के अंतर्गत टांडा ब्लाक प्लाट स॰ 90,96,97,98,162 मे कुल 3.17 कि॰मी॰ सोलर फैंसिंग कार्य की वित्तीय स्वीकृति | 1299460 |
| 16. | पीपल पड़ाव के अंतर्गत पीपल पड़ाव वन रक्षक चौकी मरम्मत कार्य की वित्तीय स्वीकृति | 147000 |
| 17. | टांडा राजी के अंतर्गत टांडा ब्लाक प्लाट स॰ 40 क्षे॰ 4.98 हे॰ वर्ष 2019-20 मे यूकोलिप्टस क्लोनल वृक्षारोपण कार्य की वित्तीय स्वीकृति | 297504 |
| 18. | टांडा राजी के अंतर्गत टांडा ब्लाक प्लाट स॰ 23 क्षे॰ 4.98 हे॰ वर्ष 2019-20 मे यूकोलिप्टस क्लोनल वृक्षारोपण कार्य की वित्तीय स्वीकृति | 597400 |
| 19. | टांडा राजी के अंतर्गत टांडा ब्लाक प्लाट स॰ 40 क्षे॰ 10.81हे॰ वर्ष 2021 मे यूकोलिप्टस क्लोनल वृक्षारोपण कार्य हेतु वर्ष 19-20 मे अग्रिम मृदा कार्य की वित्तीय स्वीकृति | 422695 |
| 20. | अरण्य भवन मे वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त उत्तराखंड हल्द्वानी के कार्यालय हेतु single last drive cover यूनिट bay क्रय कर स्थापित किए जाने की वित्तीय स्वीकृति | 71125 |
| योग | | 7178076 |

**<u>भाग 2 "ब"</u>**

**प्रस्तर-03 : लम्बित भुगतान ` 12.74 लाख ।**

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 2228/X-2/2012-19(37)/2003, देहरादून दिनाँक 10.12.2012 द्वारा प्रख्यापित मानव वन्य जीव संघर्ष एवं राहत वितरण निधि नियमावली, 2012 के नियम 5(2) के अनुसार किसी भी दशा में वन प्रभागों के शीर्षक खाते में ` **20.00** लाख की सीमा को अनुरक्षित किया जायेगा। अधिसूचना के बिन्दु 9(1)(एक) के अनुसार वन जीवों द्वारा मारे जाने, अपंग करने अथवा घायल कर दिये जाने पर पीड़ित व्यक्ति/संबन्धित आश्रित को घटना की पुष्टि कर दिये जाने के पश्चात घटना विशेष मे आंकलित कुल देय धनराशि का 30% धनराशि अग्रिम के रूप मेजानमाल की घटना की सूचना प्राप्त होने से सार्वजनिक अवकाश दिवसों को छोड़ते हुये अधिकतम 48 घण्टे के अन्तर्गत दिये जाने का प्रावधान है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन-प्रभाग के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में मानव वन्य जीव संघर्ष एवं राहत वितरण निधि एवं संबन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2019-20 के अन्त में मानव क्षति के 02 प्रकरण, मानव घायल के 07 प्रकरण, पशु क्षति के 24 प्रकरण एवं फसल क्षति के 65 प्रकरण (कुल 98 प्रकरण) लम्बित थे जिनके सापेक्ष `**14.48** लाख का भुगतान लम्बित था। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि वर्ष 2019-20 में मानव क्षति के 11 प्रकरणों में धनराशि ₹ 10,20,000/- का भुगतान किया गया था परन्तु, इकाई द्वारा समस्त प्रकरणो मे नियमानुसार 30% धनराशि का भुगतान पीड़ित/आश्रित को नहीं किया गया था। आगे, यह भी पाया गया कि प्रभाग द्वारा शीर्षक खाते में ` **20.00** लाख की सीमा को अनुरक्षित नहीं किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया वर्ष 2019-20 के अन्त में पर्याप्त बजट न होने के कारण भुगतान नहीं किया गया था एवं वर्तमान में 62 प्रकरणों के सापेक्ष ₹ 12.74 लाख की देनदारी अवशेष है।

इसके अतिरिक्त 30% अग्रिम राशि न दिये जाने के संबंध में बताया गया कि अग्रिम हेतु आवेदन न करने के कारण भुगतान नहीं किया गया था। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार घटना की सूचना प्राप्त होने के 48 घण्टे के भीतर पीड़ित/आश्रित को अग्रिम भुगतान किया जाना है।

अतः मानव वन्य जीव संघर्ष एवं राहत वितरण निधि मे नियमानुसार बजट उपलब्ध न कराये जाने एवं `12.74 लाख के लम्बित भुगतान का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

## <u>भाग-2 'ब '</u>

**प्रस्तर-04 : अधिकारियों/कर्मचारियों की जमानत की धनराशि जमा न किया जाना ₹16.73 लाख।**

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी (नैनीताल) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि **<u>"संलग्न विवरण"</u>** अनुसार कर्मचारियों के नाम के सम्मुख अंकित जमानत की अवशेष धनराशि ₹1673000/- लेखापरीक्षा तिथि तक जमा नहीं की गयी थी ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि निम्न कर्मचारियों की इस कार्यालय मे पूर्व जमा जमानत जोकि पूर्ण हो चुकी थी उन्हे अधिकार मुक्त किया गया है एवं संबन्धित कर्मचारियों से नई निर्धारित धनराशि की जमानत जमा करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। इस संबंध मे कार्यालय द्वारा समस्त वन क्षेत्राधिकारियों को भी प्रकरण मे जमानत धनराशि जमा करने हेतु दिशा-निर्देश दे दिये गए हैं।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा तिथि तक जमानत राशि जमा नहीं कराई गयी थी। अतः अधिकारियों/कर्मचारियों की जमानत की धनराशि ₹16.73 लाख जमा न किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

**संलग्नक**

| अधिकारी/कर्मचारीकानाम | प्दनाम | जमानतजमा की राषि | जमानतजमा | शेष धनराषि |
|---|---|---|---|---|
| श्री पंकज कुमार शर्मा | वन क्षेत्राधिकारी | 25000 | — | 25000 |
| श्री अजय लिंगवाल | वन क्षेत्राधिकारी | 25000 | — | 25000 |
| श्री हेमचन्द्र नेगी | उप वन क्षेत्राधिकारी | 20000 | 10000 | 10000 |
| श्री उम्मेद सिंह कोष्यारी | उप वन क्षेत्राधिकारी | 20000 | 10000 | 10000 |
| श्री नवीन चन्द्र आर्या | उप वन क्षेत्राधिकारी | 20000 | 10000 | 10000 |
| श्री अषोक कुमार टम्टा | उप वन क्षेत्राधिकारी | 20000 | 10000 | 10000 |
| श्री देवी राम | उप वन क्षेत्राधिकारी | 20000 | 10000 | 10000 |
| श्री मोहन राम | उप वन क्षेत्राधिकारी | 20000 | 10000 | 10000 |
| श्री राधे श्याम | उप वन क्षेत्राधिकारी | 20000 | 5000 | 15000 |
| श्री दिनेषचन्द्र शाही | वनदरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| श्री प्रकाषचन्द्र तिवारी | वनदरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| श्री प्रताप सिंह बिष्ट | वनदरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| श्री जगदीष चन्द्रभट्ट | वनदरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| श्री राजेन्द्र सिंह नेगी | वनदरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| श्री ललिता प्रसाद पाण्डे | वनदरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| श्री लक्ष्मण सिंह नेगी | वनदरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| श्री आषुतोष आर्या | वनदरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| श्री हर सिंह मेवाड़ी | वनदरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| श्री लक्ष्मण सिंह जीना | वनदरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| श्री शेर सिंह बोरा | वनदरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| श्री पान सिंह गौनिया | वनदरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| श्री दुर्गादत्त मेलकानी | वनदरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| श्री तारादत्त सेमवाल | वनदरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| श्री भूपेन्द्र सिंह नेगी | वनदरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| श्री कुन्दन सिंह अधिकारी | वनदरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| श्री शंकर सिंह | वनदरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| श्री डुंगर सिंह बिष्ट | वनदरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| श्री आनन्द बल्लभपन्त | वनदरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| श्री माधो राम | वनदरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| श्री मोहन चन्द्र भट्ट | वनदरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| श्री मोहन सिंह चौहान | वनदरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| श्री हीरा सिंह बिष्ट | वनदरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| श्री विरेन्द्र सिंह परिहार। | वनदरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| श्री नईम अहमद | वनदरोगा | 10000 | — | 10000 |
| श्री लीला धर बलसूनी | वनदरोगा | 10000 | — | 10000 |
| श्री नन्दा बल्लभ सुयाल | वनदरोगा | 10000 | — | 10000 |
| श्री राजेन्द्र प्रसाद सक्सैना | वनदरोगा | 10000 | — | 10000 |
| श्री संदीप सूंठा | वनदरोगा | 10000 | — | 10000 |
| श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा | वनदरोगा | 10000 | — | 10000 |
| श्री हरीष सिंह कैड़ा | वनदरोगा | 10000 | — | 10000 |
| श्री दीपचन्द्र जोषी | वनदरोगा | 10000 | — | 10000 |
| श्री मदन सिंह चौहान | वनदरोगा | 10000 | — | 10000 |
| श्रीमोहनचन्द्रपाण्डे | वनदरोगा | 10000 | — | 10000 |
| श्री मोहन दत्त शर्मा | वनदरोगा | 10000 | — | 10000 |
| श्री चन्द्रप्रकाष जोषी | वनदरोगा | 10000 | — | 10000 |
| श्री पूरन चन्द्र लोहनी | वनदरोगा | 10000 | — | 10000 |
| श्री विरेन्द्र सिंह परिहार॥ | वनदरोगा | 10000 | — | 10000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| श्री पूरन सिंह मेवाड़ी | वनदरोगा | 10000 | — | 10000 |
| श्री हीरा सिंह गौनिया | वनदरोगा | 10000 | — | 10000 |
| श्री मनीष जोषी | वनदरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| श्री भुवन चन्द्र काण्डपाल | वनदरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| श्री हरीष चन्द्र सिंह | वनदरोगा | 10000 | — | 10000 |
| श्री दीप चन्द्र आर्या | वनदरोगा | 10000 | — | 10000 |
| श्री मदन सिंह कार्की | वनदरोगा | 10000 | — | 10000 |
| श्री किषन सिंह बिष्ट॥ | वनदरोगा | 10000 | — | 10000 |
| श्री विपिन चन्द्र पडलिया | वनदरोगा | 10000 | — | 10000 |
| श्री सुरेष चन्द्र पाण्डे | वनदरोगा | 10000 | — | 10000 |
| श्रीमती गीता कालाकोटी | वनआरक्षी | 5000 | 1000 | 4000 |
| श्री पृथ्वीराज सिंह चौहान | वनआरक्षी | 5000 | 4000 | 1000 |
| श्री मो0 ताहिर | वनआरक्षी | 5000 | — | 5000 |
| श्री लोकेष कुमार | वनआरक्षी | 5000 | — | 5000 |
| श्री चन्दन सिंह | वनआरक्षी | 5000 | — | 5000 |
| श्री मन्जूपाण्डे | वनआरक्षी | 5000 | — | 5000 |
| श्री पंकज बिष्ट | वनआरक्षी | 5000 | — | 5000 |
| श्री राजेन्द्र प्रसाद आर्या | वनआरक्षी | 5000 | — | 5000 |
| श्री दीपक सिंह चौहान | वनआरक्षी | 5000 | — | 5000 |
| श्री मनोज कुमार पन्त | वनआरक्षी | 5000 | — | 5000 |
| श्री राजेष कुमार | वनआरक्षी | 5000 | — | 5000 |
| श्री अषोक सिंह बिष्ट | वनआरक्षी | 5000 | — | 5000 |
| श्री इकबाल सिंह | वनआरक्षी | 5000 | — | 5000 |
| श्री हरीष सिंह बिष्ट | वनआरक्षी | 5000 | — | 5000 |
| श्री दीपक आर्या | वनआरक्षी | 5000 | — | 5000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| श्री पूरन चन्द्र पाठक | वनआरक्षी | 5000 | — | 5000 |
| श्री हरीष चन्द्र सिंह नयाल | वनआरक्षी | 5000 | — | 5000 |
| श्री अंकित जायसवाल | वनआरक्षी | 5000 | — | 5000 |
| श्री डुंगर सिंह जीना | वनआरक्षी | 5000 | — | 5000 |
| श्री गोपाल सिंह बिष्ट | वनआरक्षी | 5000 | — | 5000 |
| श्री योगेष चोपड़ा | वनआरक्षी | 5000 | — | 5000 |
| श्री कमल मौर्य | वनआरक्षी | 5000 | — | 5000 |
| श्री कासिम रजा | वनआरक्षी | 5000 | — | 5000 |
| श्री प्रमोद जोषी | वनआरक्षी | 5000 | — | 5000 |
| श्री रमेष बिनवाल | वनआरक्षी | 5000 | — | 5000 |
| श्री तरूण कुमार भट्ट | मुख्य प्रषासनिकअधिकारी | 3000 | — | 3000 |
| श्री किषन सिंह अधिकारी | वरिष्ठप्रषासनिकअधिकारी | 3000 | — | 3000 |
| श्री जीवन चन्द्रसती | वरिष्ठप्रषासनिकअधिकारी | 3000 | — | 3000 |
| श्री मोहन सिंह बोरा | प्रषासनिकअधिकारी | 3000 | 1000 | 2000 |
| श्री चन्द्रषे खरपाण्डे | प्रधानसहायक | 3000 | 2000 | 1000 |
| श्री सुनील सिंह नेगी | प्रधानसहायक | 3000 | 2000 | 1000 |
| श्रीमती सरोजबाला | प्रधानसहायक | 3000 | 2000 | 1000 |
| श्री इरषाद अहमद | प्रधानसहायक | 3000 | — | 3000 |
| श्री सुमित किमोठी | कनिष्टसहायक | 1000 | — | 1000 |
| श्री दिनेष कुमार टम्टा | वाहनचालक | 3000 | — | 3000 |
| श्री बहादुर राम | वाहनचालक | 3000 | — | 3000 |
| श्रीमती तारीदेवी | मली | 500 | — | 500 |
| श्रीमती नारायणी देवी | मली | 500 | — | 500 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| श्री कमल कुमार आर्या | मली | 500 | — | 500 |
| श्रीमती सोनू देवी | मली | 500 | — | 500 |
| श्री बच्ची सिंह | मली | 500 | — | 500 |
| श्रीमती उमादेवी | मली | 500 | — | 500 |
| श्रीमती निर्मला देवीगुणवंत | मली | 500 | — | 500 |
| श्रीमती कला आर्या | माली | 500 | — | 500 |
| श्री गुरमेख सिंह | ट्रैक्टरक्लीनर | 500 | — | 500 |
| श्री प्रकाष चन्द्र जोषी | ट्रैक्टरक्लीनर | 500 | — | 500 |
| श्री नन्दराम | ट्रैक्टरक्लीनर | 500 | — | 500 |
| श्री नरेन्द्र सिंह | ट्रैक्टरक्लीनर | 500 | — | 500 |
| श्रीमती तारा देवी | स्वच्छक | 500 | — | 500 |
| श्रीमती मुन्नी पाण्डे | चौकीदार | 500 | — | 500 |
| श्री भुवन चन्द्र पाण्डे | चौकीदार | 500 | — | 500 |
| श्री विपिन चन्द पाण्डे | डाकिया | 500 | — | 500 |
| श्री रवि कुमार आर्या | डाकिया | 500 | — | 500 |
| श्री नन्दन सिंह | अर्दली | 500 | — | 500 |
| श्री अमर सिंह | अर्दली | 500 | — | 500 |
| श्री सफीक अहमद | अर्दली | 500 | — | 500 |
| श्रीमती चम्पा बिष्ट | अर्दली | 500 | — | 500 |
| | | | | 1673000 |

## भाग-2 'ब '

**प्रस्तर-07 : प्रभाग की उदासीनता के कारण कार्मिको को विलम्ब से अंशदान की कटौती होने के कारण ₹ 2.86 लाख के नियोक्ता अंशदान से वंचित रहना।**

उत्तराखंड सरकार के आदेश सितम्बर 2005 के द्वारा जिन अधिकारी / कर्मचारियों की नियुक्ति सितम्बर 2005 के बाद हुयी है, उनके वेतन से वेतन + ग्रेड का 10 प्रतिशत की दर से अंशदान की कटौती नियुक्ति तिथि के अगले माह से अनिवार्य रूप से की जानी चाहिये। योजना के प्रावधान के अनुसार काटी गई अंशदान के बराबर धनराशि नियोक्ता द्वारा अंशदान के रूप मे दिये जाने का प्रावधान है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केंद्रीय वन प्रभाग, रुद्रपुर की अंशदायी पेंशन योजना से संबन्धित अभिलेखो की नमूना जाँच करने पर यह देखा गया कि निम्न कार्मिको को वेतन से अंशदान की कटौती नियुक्ति तिथि से 06 माह से 36 माह विलम्ब से होने के कारण उक्त 07 कार्मिको को धनराशि रु.2.86 लाख का मिलने वाला नियोक्ता अंशदान के लाभ से वंचित रहना पड़ा। विवरण निम्न प्रकार है:

| S. No. | Name Of Emplyoee | Designation | Date Of Joining | Date Of Subscription | Pay+D.A | No. Of Delay month | 10%Pay +D.A | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neeraj Bora | Juniour Assistant | 08-02-2018 | 01-02-2021 | 23800+4046 | 36 | 2785 | 100260 |
| 2 | Dinesh Tamta | Driver | 31-08-2019 | - | 22400+3808 | 19 | 2621 | 49799 |
| 3 | Suraj Chanyal | Juniour Assistant | 19-12-2019 | 01-02-2021 | 22400+3808 | 14 | 2621 | 36694 |
| 4 | Naveen Singh Negi | Juniour Assistant | 20-12-2019 | 01-02-2021 | 22400+3808 | 14 | 2621 | 36694 |
| 5 | Deepak Chauhan | Forest Guard | 22-06-2020 | - | 22400+3808 | 9 | 2621 | 23589 |
| 6 | Sumit Kimothi | Juniour Assistant | 31-07-2020 | 01-02-2021 | 21700+3689 | 7 | 2539 | 17773 |
| 7 | Vipin Chandra Pandey | Dispatch Rider | 25-09-2020 | - | 18000+3060 | 6 | 3580 | 21480 |
| **कुल** | | | | | | | | **286289** |

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि कर्मचारियों का वेतन भुगतान IFMS प्रणाली से होता है नई नियुक्ति के मामले मे PRAN नंबर आवंटित होने के बाद ही अंशदान मे कटौती संभव है PRAN नंबर समय से आवंटित करने एवं बिना PRAN नंबर आवंटित हुए कटौती के संबंध मे कोषागार/ उच्चस्तर से जानकारी एकत्र कर कार्यवाही की जाएगी।

प्रभाग का उत्तर मान्य नहीं है। प्रभाग द्वारा कार्मिको की अंशदान की धनराशि को सस्पेन्स हैड मे रखना जाना चाहिये था। पीआरएएन नम्बर प्राप्त होते ही धनराशि को कार्मिको के खाते मे ट्रांसफर कर देना चाहिये था। जिससे की नियोक्ता द्वारा दिया जाने वाला अंशदान प्राप्त हो सके।

अत: प्रभाग के उदासीनता के कारण विलम्ब से अंशदान की कटौती होने के कारण ₹2.86 लाख के नियोक्ता द्वारा मिलने वाला अंशदान की धनराशि से वंचित रहना पड़ा। प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

## **भाग-III**

**राजस्व से संबंधित** विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या | भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या | नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी यदि कोई हो | STAN |
|---|---|---|---|---|
| 57/2017-18 | 01,02,03 | 01,02,03 | - | - |
| 31/2018-19 | 02 | 01,02 | 01,02 | - |

**व्यय से संबंधित** विगत निरीक्षण प्रतिवदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तर संख्या लेखा परीक्षा प्रेक्षण | अनुपालन आख्या | लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी | अभ्यूक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 68/2019-20 | 01,02 व 03 भाग-2'ब' | - | - | - |

## **भाग-IV**

### **इकाई के सर्वोत्तम कार्य**

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

## भाग-V

## आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रुद्रपुर (उधम सिंह नगर)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि

**लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

शून्य

2.**सतत् अनियमितताएः**

शून्य

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

| क्रम सं0 | नाम | पदनाम |
|---|---|---|
| 1. | श्री आर. के. सिंह | प्रभागीय वनाधिकारी |
| 2. | डा. अभिलाषा सिंह | प्रभागीय वनाधिकारी |
| 3. | बीनू लाल टी. आर. | प्रभागीय वनाधिकारी |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रुद्रपुर (उधम सिंह नगर)** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (ए.एम.जी.-IV), कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा)-उत्तराखंड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांये।

**वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV**